

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।

- कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
क) प्रेषण में हानि
ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
ग) डाक में देरी
- इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरूआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
- आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।
- ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। भुगतान का अनुदेश शाखा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) को जारी किया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा सूचना प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है। संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/ खाता विवरण में ई सी एस के रूप में सूचित करेगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
- संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट (फिलहाल 81) केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
- हमने लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की है और आप से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में यह सुविधा उपलब्ध करें। कृपया यह नोट करें कि यह केवल भुगतान का एक अतिरिक्त प्रकार है और यह वैकल्पिक है।
- कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश, निर्देश, वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
- हम एतद्वारा एक ई सी एस अधिदेश फार्म संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और बेहतर होगा यदि वह आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो (अनिवार्य नहीं)। कृपया अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
- सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग/सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं हैं। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों कि अनुरोध है कि वे संलग्न बैंक अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे आपके खाते में जमा किया जा सके।
- कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेट बैंक, प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद - 500 081 को अग्रेषित करें।
- आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश वारंटों पर कार्रवाई के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,
रवि
(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2010

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

- At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
a) Loss in transit
b) Fraudulent encashment by third parties
c) Postal delay
- To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
- Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) have directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
- Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
- This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres (81 at present) and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
- This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest. Please note that this is only an additional mode of payment and is optional.**
- Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
- The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and it would be better (not compulsory) if certified by your Bank. Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.**
- All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/ Current/ Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the Bank Mandate (annexed) for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.**
- Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: Syndicate Bank, Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081.**
- The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,


(R. RAVI)

Date: 27-05-2010

COMPANY SECRETARY